उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 11/2025/882/94-2-2025-700(42)/2025
लखनऊ, दिनांक : 17 जुलाई, 2025

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक सें, जिला कानपुर नगर में स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव के विकास हेतु चिह्नित 48.86 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित होने वाले पट्टा लिखत/पट्टा करार (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1ख के अनुच्छेद 35 के अधीन) पर संदेय रू० 11,25,77,360.00 स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 11/2025/882(1)/94-2-2025-700(42)/2025, दिनांक : 17 जुलाई, 2025

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 17 जुलाई, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या : 11/2025/882(2)/94-2-2025-700(42)/2025</u>, <u>दिनांक : 17 जुलाई, 2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
5- महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर उ०प्र०।
7- जिलाधिकारी, कानपुर नगर उ०प्र०।
8- अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) कानपुर नगर, उ०प्र०।
9- उप महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर मण्डल, कानपुर उ०प्र०।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11/2025/882/94-2-2025-700(42)/2025 dated 17 July, 2025 :

Notification
Order

No. 11/2025/882/94-2-2025-700(42)/2025
Lucknow, Dated : 17 July, 2025

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the stamp duty of Rs. 11,25,77,360.00 payable on the instrument of lease/lease agreement (under Article 35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899) to be executed by the Government of Uttar Pradesh in favour of Airports Authority of India, relating to the 48.86 acres of land identified for the development of civil enclave at the airport of Indian Air Force situated in district Kanpur Nagar.

By Order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।